# राजस्थान सरकार
## आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.6( ) आ.प्र.एवं सहा./उत्तराखण्ड राहत पैकेज/2013/11041-91 जयपुर, दिनॉकः 29/7/2013

समस्त, जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः– माह जून, 2013 में प्राकृतिक आपदा में मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों (NEXT OF KIN) को राहत हेतु पैकेज।

महोदय,

उत्तराखण्ड में दिनॉक 16 एवं 17 जून को हुई प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों (Next of kin) को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पैकेज घोषित किया गया है :–

<u>अनुग्रह राशि</u>–

- राजस्थान राज्य के प्रत्येक मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों (Next of kin) को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 5 लाख रूपये (जिसमें 2 लाख प्रधानमंत्री सहायता कोष से + 1.5 लाख एसडीआरएफ से + 1.5 लाख उत्तराखण्ड सरकार से) एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जायेगी।
- इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि पृथक से एक मुश्त प्रदान की जायेगी।
- उत्तराखण्ड की यात्रा पर गये व्यक्तियों मे से जो व्यक्ति घायल या बीमार होने के कारण उन्हें उत्तराखण्ड मे अस्पताल मे भर्ती रहकर ईलाज कराना पडा था उन्हें एक मुश्त 25 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी।
- उक्त अनुग्रह राशि के अतिरिक्त मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के आश्रितों मे से एक आश्रित को राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पात्मक नौकरी प्राप्त करने अथवा अधोलिखित सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

- राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पात्मक नौकरी का विकल्प नहीं चुनने वाले आश्रितों को निम्न सहायता प्रदान की जायेगी।

1. **भरण–पोषण–**

➢ ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता दोनो ही मृत अथवा स्थाई रूप से लापता हैं, उन्हें बालिग होने तक 4000/– रू. प्रतिमाह जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित संरक्षक के बैंक खाते मे जमा कराया जाऐगा, जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी।

➢ उपरोक्त श्रेणी की बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह दी जाने वाली 4 हजार रूपये की राशि के अलावा 4 लाख रू0 की एक मुश्त राशि सावधि जमा की जायेगी, जो उनके बालिग होने के उपरान्त देय होगी।

➢ यदि विधवा स्वयं आजीविका अर्जित नहीं कर रही हो तथा उसके अवयस्क बच्चे हों तो उसके प्रत्येक बच्चे के लिए वयस्क होने तक 1500/– रू0 प्रति माह (जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी) उसके भरण पोषण के लिये दिये जायेंगे तथा विधवा को पृथक से स्वयं के भरण पोषण के लिए 1500/– रू0 प्रतिमाह की राशि दी जावेगी। (जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी)

➢ ऐसे परिवार जिनमें मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के माता–पिता पूर्ण रूप से मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति पर ही आश्रित थे, ऐसे प्रकरणों में माता–पिता को संयुक्त रूप से 2000/– रू0 प्रतिमाह की राशि भरण–पोषण हेतु प्रदान की जायेगी। (यह राशि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा देय होगी।)

2. **शिक्षा–**

➢ प्रत्येक बच्चे को 12,000 रूपये बार्षिक स्कूल शिक्षा हेतु एवं 25,000 रूपये वार्षिक उच्च शिक्षा हेतु।

➢ प्रत्येक बच्चे को किसी एक पाठ्यक्रम की कोचिंग हेतु 50,000 रूपये एक मुश्त।

3. **विधवा द्वारा पुनर्विवाहः–**

➢ विधवा के पुर्नविवाह करने के बावजूद भी उनके आश्रित प्रत्येक बच्चे को वयस्क होने तक 1500/– रू0 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ देय होंगे।

4.आजीविका–

- व्यवसायिक प्रशिक्षण– इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण (3–6 महीने) हेतु विधवा स्वयं को 1,00,000/– रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/– रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत तक एक बार देय होगा।
- स्वरोजगार हेतु उद्योग की स्थापना– इस प्रयोजनार्थ उद्योग की स्थापना हेतु विधवा स्वयं को 1,00,000/– रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/– रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत एक बार अनुदान देय होगा।

**5. बी.पी.एल. की पात्रता**

- मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के परिवारजन वर्तमान में राज्य सरकार की बी.पी.एल. वर्ग में देय सुविधा के लिए पात्र माने जायेंगे।

उक्त राहत एवं पुनर्वास पैकेज के तहत पात्र लाभान्वितो को देय राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाकर लाभान्वित के नाम बैंक खाते में जमा होगी।

उक्त राहत पैकेज के तहत राहत प्रदान करने हेतु मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के प्रमाणीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप ही राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनायी जावेगी जो कि निम्नानुसार है।

1. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जावे :–

"ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान से उपरोक्त तिथियों में उत्तराखण्ड के जल प्रलय क्षेत्रों में पर्यटक बनकर या श्रृद्धालु के रूप में या अन्य कारणों से आये थे तथा दिनांक 16 जून, 2013 से स्थायी रूप से लापता हो गये। "

2. उपरोक्त आपदा में स्थायी रूप से लापता हुए व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

(i) सर्वप्रथम स्थायी रूप से लापता व्यक्ति/व्यक्तियों के सबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने अथवा तहसील क्षेत्र में दर्ज की जानी

अनिवार्य होगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे और यदि ये सभी किसी कारण से उपलब्ध न हो तो अन्य विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) द्वारा दर्ज होगी।

(ii) स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) जो कि इस पत्र के पैरा 8 में वर्णित है, के द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का दिया जायेगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में स्थायी रूप से लापता बताकर अनुग्रह राशि का आग्रह किया जा रहा है, वह वास्तव में स्थायी रूप से लापता हो चुका है और उसके संबंध में जो विवरण दिया गया है वह सत्य है। इस आशय का शपथ पत्र/बंध पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा उक्त अनुग्रह राशि गलत रूप से या धोखाधडी से प्राप्त की गयी है तो ऐसी स्थिति में वह समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा तथा उसके विरूद्ध जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह सम्पन्न की जायेगी। यह शपथ पत्र नोटराइज्ड किया जायेगा और स्थायी अभिलेखों के रूप में संरक्षित किया जायेगा। शपथ पत्र/बंध पत्र का प्ररूप परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

(iii) स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी अभिलेख जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किये जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार इस निमित्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके साथ ही एक रजिस्टर भी तैयार किया जायेगा जिसे स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों का रजिस्टर (Register of Permanently Missing Persons) कहा जायेगा। इसे भी स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।

3. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की सूची के चिन्हीकरण, उनकी सूची तैयार किये जाने एवं उनसे संबंधित अभिलेखों को तैयार करने एवं संरक्षण हेतु संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को इस निमित्त सक्षम अधिकारी घोषित किया